न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 79/2018 जिला भीलवाड़ा

शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
2. पटवारी हल्का सलावटिया तहसील बिजोलिया जिला भीलवाड़ा

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया दिनांक 22.05.2018 जो प्रकरण संख्या 05/2012 बउनवानी शंकरलाल बनाम तहसीलदार में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री रमेश चन्द सारस्वत(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभिभाषकः— श्री एस0पी0सिंह
राजकीय अभिभाषकः—अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः—29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सलावटिया तहसील बिजौलियां में स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 516 रकबा 54 रकबा में से ग्राम पंचायत सलावटिया को आबादी प्रयोजनार्थ वर्ष 1978 में 5 बिस्वा भूमि आवंटित की गई। जिस बाबत नामातंरण संख्या 118 दिनांक 03.06.1978 को स्वीकृत किया गया। इसके बाद पुनः 5 बीघा भूमि वर्ष 1983 में आवंटित की गई। जिसके बाबत नामातंरण संख्या 242 दिनांक 06.03.1983 को स्वीकृत किया गया। अपीलांट के अनुसार उस समय स्वीकृत नामातंरण के साथ नक्शाट्रेस प्रस्तुत नहीं हुआ इस कारण उक्त आबादी रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा की सही तरमीम नक्शाट्रेस में नहीं हो पायी। जिसको दुरूस्त करवाने हेतु अपीलांट द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया न्यायालय में प्रकरण संख्या 5/2012 के रूप में दर्ज करवाया गया था। जिसको बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया द्वारा दिनांक 22.05.2018 को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई है—

1. नामातंरण स्वीकृत पत्रावली के साथ नक्शाट्रेस प्रस्तुत नहीं किया गया था।
2. आबादी भूमि रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा की तरमीम सही नही होने के कारण अपीलांट द्वारा खरीदशुदा भूमि को चारागाह भूमि में दर्शा दिया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा खरीदशुदा भूमि 5 बीघा आबादी भूमि में ही स्थित है।
3. 5 बिस्वा भूमि वर्ष 1978 में पंचायत को दी गयी थी। उक्त 5 बिस्वा भूमि की तरमीम ऐसे स्थान पर कर दी जहां वर्ष 1975 से पहले के मक[illegible] थे।
4. 5 बीघा भूमि आवंटन के बाद खसरा नम्बर 516/[illegible] नक्शाट्रेस में दर्शाया गया है। 5 बिस्वा भूमि जो 1978 में पंचायत [illegible] खसरा नम्बर [illegible] के बाद 1265/516 नम्बर डाल दिया गया जो संभव नहीं है। [illegible] प्रकार नक्शाट्रेस में [illegible] हेरफेर की गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:18 IST
Reason: SelfAttested

5. मौका रिपोर्ट कमिशनर जिसे सिविल न्यायाधीश के निर्देश पर दिनांक 07.05.2012 को प्राप्त की गई थी एवं अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त नक्शाट्रेस दिनांक 06.04.2011 एवं 04.07.2011 से यह स्पष्ट होता है कि आवंटित रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि में राजस्व नक्शे पटवारी हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी से कब्जा मौका पर तरमीम कर दी गई है। धारा 91 एलआरएक्ट के तहत अपीलांट के विरूद्ध तहसीलदार माण्डलगढ एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा निर्णय क्रमशः दिनांक 08.03.2011 एवं 17.05.2011 पारित किये गये थे। जिसकी अपील न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में 140/2011 से प्रस्तुत की गयी थी। जिसको निर्णय दिनांक 06.11.2012 उनके द्वारा स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार बिजौलिया को रिमाण्ड करते हुए उभयपक्ष एवं ग्राम पंचायत की उपस्थित में मौके पर सर्वे करवाकर तथ्यात्मक स्थिति ज्ञात करने का निर्देश दिया गया। जिसकी कोई पालना अभी तक नहीं की गई।

6. लोकअदालत में पक्षकार की आपसी सहमति एवं रजामंदी से ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। जबकि वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ।

7. ग्राम पंचायत सलावटिया द्वारा एक आवासीय भूखण्ड 50 बाई 40 फिट का विक्रय के द्वारा गोपाललाल पुत्र बालूलाल मेड़तियां निवासी बिजौलिया के पक्ष में दिनांक 31.03.1991 को पट्टा जारी किया गया। जिसके बाद उक्त भूखण्ड गोपाललाल से अपीलांट ने दिनांक 25.08.2010 को विक्रय पत्र से खरीद किया एवं मौके पर कब्जा प्राप्त करके, पंचायत से स्वीकृति लेकर चौतरफा पक्की दीवार बना दी। मगर तरमीम सही न होने की वजह से मेरे भूखण्ड को चारागाह में निकाल दिया गया है। अंत में निवेदन किया है कि अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 5/2012 निर्णय दिनांक 22.05.2018 को निरस्त किया जायें तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के बाद अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

न्यायालय कार्यवाही के दौरान अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी सलावटिया तहसील बिजौलियां का निवासी है और सुनवाई कैम्प कोर्ट भीलवाड़ा में करवाना चाहते है। इस कारण अपील को कैम्प कोर्ट भीलवाड़ा में नियत कर प्रकरण की सुनवाई किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पत्रावली को कैम्प कोर्ट भीलवाड़ा हेतु प्रस्तुत करने का दिनांक 15.12.2022 को आदेश दिया गया।

बहस से पूर्व अपीलांट की ओर से श्री रमेश चन्द्र सारस्वत द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे पत्रावली पर लिया गया। साथ ही एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 27 प्रस्तुत किया गया जिसे भी स्वीकार किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत निम्न दस्तावेजात पत्रावली पर लिये गये।

1. पट्टा पत्रावली–गोपाललाल मेड़तिया, ओमप्रकाश यादव, कन्हैयालाल यादव
2. उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित। राजकीय पैराकार अनुपस्थित। वकील अपीलांट ने बताया कि खसरा नम्बर 516 ग्राम सलावटिया का रकबा 54 बीघा दर्ज होकर किस्म चारागाह दर्ज है। जिला कलक्टर द्वारा 5 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत को आबादी में आवंटित की थी। इस हेतु नामातंरण [illegible]8 दिनांक 06.06.1978 खोला गया था। नामातंरा खोल दिया गया। मगर उक्त खसरा नम्बर को नक्शे में दर्ज नहीं किया गया। 1983 में फिर एक अन्य आदेश दिनांक [illegible] नम्बर में 5 बीघा भूमि फिर आबादी में आवंटित कर नामातंरण संख्या 242 खोला गया था। अब चारागाह भूमि 48 बीघा रही है। आबादी भूमियों बाबत ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये। पत्रावली संख्या 31/2046

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:18 IST
Reason: SelfAttested

गोपाल पिता बालूलाल मेड़तिया के नाम थी। दिनांक 28.03.1990 को प्रार्थना पत्र लेकर पट्टा गोपाल के नाम जारी किया गया था। उक्त पट्टा आपसी बातचीत के द्वारा जारी किया गया। 1464/516 रकबा 5 बिस्वा भूमि 1977 में चारागाह से आबादी भूमि बाबत आदेश जारी किया गया था। उक्त खसरा नम्बर ग्राम पंचायत सलावटिया के खाते में संवत 2075–78 में दर्ज है। नक्शे में दर्ज नहीं करने से अभी चारागाह में दर्ज किया गया है। धारा 91 हमारे खिलाफ किया गया था जिसकी अपील आरएए भीलवाड़ा में की गई थी। हमारी अपील दिनांक 18.11.2012 को स्वीकार की गई। विशिष्ट निर्देशो के साथ जिसकी अनुपालना अभी तक नहीं हुई। सिविल न्यायाधीश से भी एसडीओ बिजौलिया को मौका कमिशनर बनाया गया था। हमने गोपाललाल से प्लॉट खरीदा था।

सर्वप्रथम अपील को मियाद बिन्दु के सन्दर्भ में देखा गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.05.2018 का है और न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 08.10.2018 को प्रस्तुत की है। अपील मीमो के पैरा 15 में अपीलांट द्वारा बताया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2018 को प्रस्तुत कर दिया गया था। जिस पर प्रमाणित नकल दिनांक 14.08.2018 को दी गई। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा भूखण्ड ग्राम पंचायत को खसरा नम्बर 516 में से आवंटित आबादी भूमि रकबा 5 बीघा की परिधि में स्थित है। फिर भी अप्रार्थी गलत तरमीम के आधार पर उसे बेदखल करने पर आमादा है। स्थगन आदेश पारित किया जायें और प्रार्थी के खरीदशुदा भूखण्ड में दखलअंदाजी न करने हेतु अप्रार्थी को पाबंद किया जाये। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रथम सुनवाई दिनांक 23.10.2018 को हुई। तत्समय पीठासीन अधिकारी न्यायालय हाजा द्वारा यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये थे।

अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली 5/2012 में तहसीलदार बिजौलिया के जवाब का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के अनुसार कुल भूमि 5 बीघा 5 बिस्वा को शामिल करते हुए नक्शाट्रेस की तरमीम सही है। साथ ही यह भी कहा है कि वर्तमान नक्शा लठ्ठा में आबादी भूमि की तरमीम हो रखी है व 5 बीघा 10 बिस्वा तक हो रखी है अर्थात जो डिब्बा नक्शे में पृथक से बना है वह आबादी क्षेत्र से बाहर है। प्रार्थी की जहां दुकाने निर्मित है वह चारागाह का ही क्षेत्र है। आबादी क्षेत्र एवं मौके पर बने धार्मिक क्षेत्रो को जोड़ा भी जायें तो रिकोर्ड जांच में 5 बीघा 10 बिस्वा होता है। इसलिए तरमीम में दुरूस्ती किया जाना उचित नहीं है। नामातंरण संख्या 118 ग्राम सलावटिया का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 516 रकबा 54 बीघा है, किस्म चरनोट है। उक्त रकबा में 5 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत सलावटिया को गैर मुमकीन आबादी में दी गयी है। गिरदावर द्वारा अपनी जांच में अंकन किया है कि **अंकन दुरूस्त है। आवासीय भूखण्ड आवंटन 3 व्यक्तियों को हुई है। जिनके पट्टा संख्या दर्ज नहीं है। दर्ज की जाये तब स्वीकार की जावें।** नामातंरण संख्या 242 ग्राम सलावटिया से ग्राम पंचायत सलावटिया को खसरा नम्बर 516 रकबा 53 बीघा 15 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि पुनः आबादी के रूप में दी गयी। न्यायालय आरएए में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के अनुसार तत्समय अपीलांट के खिलाफ खसरा नम्बर 516 रकबा 48 बीघा 15 बिस्वा में से 3 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण बाबत प्रकरण है। उक्त खसरा नम्बर चारागाह भूमि का ही नम्बर है। क्योंकि मूल रकबा खसरा नम्बर 516 का 54 बीघा का था जिसमें से 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि क[illegible]र उक्त रकबा कम करने पर शेष रहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:18 IST
Reason: SelfAttested

नामातंरण संख्या 118 ग्राम सलावटिया में [illegible] द्वारा दर्ज टिप्पणी के अनुसार अंकन दुरूस्त है। आवासीय भूखण्ड आवंटन तीन व्यक्तियों को हुई है जिनके पट्टा अंकन दर्ज नहीं है। दर्ज की जायें तब स्वीकार की जायें। दिनांक 06.06.2018 अंकित है। उक्त एंट्री

से स्पष्ट है कि दिनांक 06.06.1978 से पूर्व ही आवासीय भूखण्ड आवंटन तीन व्यक्तियों को हो चुके थे। मगर नामातंरण खोलते समय गिरदावर के पास पट्टा संख्या दर्ज नहीं थे। जिस वजह से उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि पट्टा संख्या दर्ज नहीं है। दर्ज की जाये तब नामातंरण को स्वीकार किया जायें। जबकि बहस से पूर्व अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिन्हें पत्रावली पर लिये जाने का आदेश दिया गया था में से गोपाल लाल पुत्र बालूलाल मेड़तिया की ग्राम पंचायत द्वारा तैयार मिसल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली सन् 1990 में तैयार करना पाया जाता है। जबकि नामातंरण संख्या 118 में दर्ज गिरदावर की रिपोर्ट के अनुसार आवंटन तीन व्यक्तियों को पूर्व में किया जा चुका था। मगर पट्टा संख्या दर्ज नहीं होने बाबत अंकन उनके द्वारा किया गया था और ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवंटन भी खसरा नम्बर 1464/516 रकबा 5 बिस्वा में किया जाना पाया जाता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपील मीमो के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार 5 बीघा भूमि में ही प्रार्थी व उसकी भूमि की खरीदशुदा पट्टे वाली भूमि पड़ना बताया है। वर्तमान अपील मीमो के बिन्दु 5 में भी अपीलांट ने कहा है कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 25.08.2010 के द्वारा खरीदशुदा भूखण्ड ग्राम पंचायत सलावटिया को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटी रकबा 5 बीघा में स्थित है। जबकि उपर लिखित विवरण से स्पष्ट है कि गोपाल लाल मेड़तिया को खसरा नम्बर 1464/516 रकबा 5 बिस्वा भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही कर कथित पट्टा दिये जाने की बात बतायी गयी है। जबकि दोनो अपील मीमो में अपीलांट द्वारा यह कहा गया है कि वह 5 बीघा भूमि में आबादी बैठा है। जिससे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है। अपीलांट द्वारा गोपाल लाल से भूमि क्रय करने की बात कही है तथा पत्रावली पर उपलब्ध नामातरंण संख्या 118 ग्राम सलावटिया के अनुसार 1978 में ही तीन व्यक्तियों को आवासीय भूखण्ड दिये जा चुके थे। मगर पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड से यह पता लगता है कि सन् 1990 में पट्टा दिये जाने की बात हुई है। यह बात भी विरोधाभास की स्थिति पैदा करती है। पट्टा पत्रावलीयों दिनांक में काटा–फासी की हुई है। एक ही दिनांक में कई बार प्रोसिडिंग शुरू कर बंद की गई है। सरपंच के हस्ताक्षर किये गये है। जो प्रकरण पर उपलब्ध पंचायत की आबादी भूमि मिसल को संदेहस्पद बनाते है। गोपाल लाल से संबंधित पत्रावली सन् 1990 की दिखाई पड़ रही है। जबकि अन्य पत्रावलीया ओमप्रकाश एवं राधेश्याम पुत्र दौलतराम यादव जिसे बाद में काटकर कन्हैयालाल पुत्र दौलतराम यादव अंकित किया गया है की पट्टा पत्रावलीयां सन् 1984 की है। जो उक्त पत्रावलीयों को संदिग्ध बनाता है।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कमिशनर रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012 के अनुसार नपती करने पर आराजी नम्बर 516/1 व 1464/516 किता 2 रकबा 5.05 बीघा की सीमा का सीमांकन किया गया तो यह तथ्य जाहिर है कि उक्त विवादित तथ्य आराजी नम्बर 516/1, 1464/516 किता 2 रकबा 5.05 बीघा भूमि में स्थित न होकर ग्राम सलावटिया की किस्म चारागाह भूमि में आता है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार उपस्थित भू–अभिलेख सलावटिया ने अवगत कराया कि राजस्व रिकोर्ड नक्शा में आराजी नम्बर 516/1, 1464/516 की तरमीम नामातंरण संख्या 118 व 242 पर चस्पा नक्शाट्रेस के आधार पर की गई है। लेकिन नामातंरण संख्या 242 में 5 बीघा भूमि का नक्शाट्रेस चस्पा है। उसमें आराजी नम्बर 1265/516 नम्बर का डिब्बा बनाना है। वह राजस्व नक्शा लट्ठा में नहीं दर्शायी गयी है। एवं साथ ही आराजी नम्बर 516 में 5 बीघा तरमीम नक्शाट्रेस पूर्व दिशा में एक बिन्दु पर जाकर बंद कर रखी है। जो वर्तमान नक्शा लट्ठा में उसके बाद भी जगह आ गयी है। इससे नामातंरण संख्या 242 पर चस्पा नक्शाट्रेश व वर्तमान राजस्व नक्शा [illegible] कुछ भिन्नता पाई गई है। मगर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि [illegible] चारागाह से बाहर भी नही बताया है। अपीलांट इस बाबत अतिक्रमण [illegible] चाराजोई कर सकता है। स्पष्ट है कि नामातंरण संख्या 242 से 5 बीघा भूमि [illegible] पंचायत के नाम दर्ज की गयी थी। जिसका राजस्व नक्शे में तरमीम की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार बिजौलिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:18 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया था कि वर्तमान नक्शा लट्ठा में आबादी भूमि की तरमीम हो रही है। वह 5 बीघा 10 बिस्वा तक हो रही है अर्थात डिब्बा नक्शे में पृथक से बना है। वह आबादी क्षेत्र से बाहर है और प्रार्थी की जहां दुकाने निर्मित है वह चारागाह का ही क्षेत्र है। आबादी क्षेत्र एवं मौके पर बने धार्मिक स्थलों को जोड़ा भी जाये तो रिकोर्ड जांच में 5 बीघा 10 बिस्वा होता है। इसलिए तरमीम में दुरूस्ती किया जाना उचित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय में लिखा है कि प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर मेरिट पर निर्णय शिविर में किये जाने हेतु उभयपक्षों ने सहमति व्यक्त की। जिससे निर्णय शिविर में किये जाने हेतु विचारार्थ रखा गया। शिविर में उपस्थित होने हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया और पक्षकारों की तामील भी हुई है। उसके पश्चात ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जाना पाया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा दिये गये जवाब एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय एवं उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत मौका कमिशनर रिपोर्ट दिनांक 07.05.2012 के अनुसार अपीलांट चारागाह भूमि पर बैठा हुआ है। चारागाह भूमि राजस्थान टिनैन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों में आती है। चारागाह भूमि पर किसी को कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अपीलांट द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के तहत नक्शे में दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। मगर राजस्व विभाग के अनुसार आवंटन आदेश पर चस्पा नक्शे के अनुसार ही नक्शा लट्ठा में तरमीम की गई है। यह तरमीम आवंटन के बाद विवादित खसरा हेतु पहली बार ही की गई है। जिसे किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा यह नहीं बताया गया है। धारा 136 एलआरएक्ट में दोनो पक्षों की सहमति आवश्यक है। मगर वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाब में असहमति प्रकट की है। साथ ही अपीलांट द्वारा मूल रूप से गोपाल लाल मेड़तिया से भूमि क्रय किया जाना बताया है और गोपाल लाल मेड़तिया को ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे के आधार पर 1990 में तथाकथित पट्टा देने की बात बतायी गई है। वह पट्टा गोपाल लाल को खसरा नम्बर 1264/516 रकबा 5 बिस्वा में दिया हुआ प्रतीत होता है। मगर अधीनस्थ न्यायालय में एवं वर्तमान अपील में अपने अपील मीमो में अपीलांट स्वयं को 5 बीघा भूमि में बैठा होना बताता है। जो कि विरोधाभाषी है। ग्राम पंचायत की पट्टा कार्यवाही जो पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है, वह विश्वसनीय नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया प्रकरण संख्या 5/2012 उनवानी शंकरलाल बनाम तहसीलदार एवं अन्य अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट 1956 निर्णय दिनांक 22.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:18 IST
Reason: SelfAttested